

“डेंगू पर प्रहार अभियान” के तहत आज होगा जन जागरूकता रैली का आयोजन

निगम आयुक्त श्री झारिया ने ली निगम अधिकारियों की बैठक

रत्नाम 14 सितम्बर। डेंगू मलेरिया व वर्षा जनित बीमारियों की रोकथाम हेतु शासन द्वारा चलाये जा रहे “डेंगू पर प्रहार अभियान” के तहत नगर निगम द्वारा आज 15 सितम्बर बुधवार को प्रातः 9:00 बजे नगर निगम कार्यालय से जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया है जिसमें जनप्रतिनिधि, अधिकारी व कर्मचारी सम्मिलित होकर नागरिकों को डेंगू के प्रति जागरूक करेंगे।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने इस संबंध में निगम अधिकारी एवं कर्मचारियों की बैठक लेकर निर्देशित किया कि आयोजित रैली में समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहेंगे। उन्होंने निर्देशित किया कि रत्नाम शहर में डेंगू को प्रकोप को खत्म करने हेतु स्वास्थ्य अधिकारी, झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा अपने—अपने क्षेत्रों में घर—घर जाकर नागरिकों को डेंगू से बचाव एवं नियंत्रण के उपायों की जानकारी देंगे व जागरूकता गतिविधियों का आयोजन करेंगे।

आयोजित रैली में अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा उद्घोषणा के माध्यम से नागरिकों को जागरूक किया जायेगा साथ ही फॉगिंग व हैण्ड स्प्रे मशीन से कीटनाशक दवा का भी छिड़काव किया जायेगा।

आयोजित बैठक में उपायुक्त श्री विकास सोलंकी, कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास, श्री जी.के. जायसवाल, सहायक यंत्री श्री श्याम सोनी, निज सहायक श्री सुभाष गोयल, लेखाधिकारी श्री विजय बालोद्रा, स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, उपयंत्री श्री राजेश पाटीदार, झोन प्रभारी श्री पर्वत हाड़े, श्री किरण चौहान सहित वार्ड दरोगा उपस्थित थे।

नगर निगम व मलेरिया विभाग द्वारा नागरिकों से अपील की जाती है कि वे मच्छर जनित डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों से बचाव हेतु अपने आसपास, गड्ढों में पानी एकत्रित ना होने दें साथ ही कूलर का पानी नियमित रूप से बदले, पानी की टंकियों को खुला ना छोड़ें, खुले मटके, झूम, टायर इत्यादि में पानी एकत्रित ना होने दें इसके अलावा अपने घरों से निकलने वाले कचरे को यहां—वहां, नाले—नालियों में न डालते हुए निगम के कचरा संग्रहण वाहन में ही डालें साथ ही अपने आसपास जल भराव की स्थिति पैदा न होने दें तभी हमारा शहर साफ—स्वच्छ व सुन्दर होने के साथ डेंगू तथा मलेरिया जैसी बीमारियों से मुक्त रह सकेगा।

नगर से निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन किया जा रहा है वजन 14 सितम्बर को 93 टन कचरा जुलवानिया पहुंचा

रत्नाम 14 सितम्बर। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर—घर से पृथक—पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले—सूखे कचरे व सड़कों व नाले—नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पहुंचाया जा रहा है जिसके तहत 14 सितम्बर मंगलवार को 93 टन कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पहुंचाया गया।

14 सितम्बर मंगलवार को डम्पर व ट्रेक्टर से 46500, काम्पेक्टर सूखा कचरा 31650, काम्पेक्टर गीला 14970 किलो इस तरह कुल 93120 किलो कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पहुंचाया गया।

मवेशी पकड़ने वाली गँग के कर्मचारियों का दो दिवस का वेतन काटा

रतलाम 14 सितम्बर । राम मंदिर के सामने सैलाना रोड के निरीक्षण के दौरान डिवार्इडर पर 4 मवेशी बैठे पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार मवेशी पकड़ने वाली गँग के कर्मचारियों का दो दिवस का वेतन काटा गया ।

राम मंदिर के सामने सैलाना रोड के डिवार्इडर पर 4 मवेशी बैठे पाये जाने पर मवेशी पकड़ने हेतु नियुक्त गँग के कर्मचारी चरणसिंह—भारतसिंह, कैलाश—नन्दलाल, हीरालाल—गबरु, मेहफुज—कालेखां, पुनमचन्द—रतन, कमलेश—त्रिलोकचन्द, राधेश्या—भवंर, रामु—राजू व संजय—सत्यनारायण का दो दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का सूचना पत्र जारी किया गया ।

अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही 15 हजार रुपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राशि होगी वसूल

रतलाम 14 सितम्बर । शहर की मुख्य सड़के सैलाना रोड, सागोद रोड, महू रोड, स्टेशन रोड सहित अन्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हें तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार गठित दलों के द्वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबंधितों से 15 हजार रुपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जायेगी ।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलों को निर्देशित किया है शहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर 13 सितम्बर सोमवार से प्रारंभ कर प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रुपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जाये ।

नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है नागरिकों से अपील है कि वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें ।

डेंगू से बचाव हेतु प्रत्येक झोन में एक-एक डबल बैरल फॉगिंग मशीन से कीटनाशक दवा का छिड़काव निरंतर जारी

रतलाम 14 सितम्बर । कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नागरिकों को मच्छर जनित डेंगू व मलेरिया जैसी बीमारी से बचाव हेतु नगर प्रत्येक झोन में एक-एक डबल बैरल फॉगिंग मशीन से कीटनाशक दवा का छिड़काव का कार्य निरंतर जारी है ।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने इस अवसर पर बताया कि शहर में बढ़ रहे डेंगू व मलेरिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों पर नियंत्रण हेतु कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार फॉगिंग मशीन प्रत्येक झोन में एक-एक डबल बैरल फॉगिंग मशीन से नगरनिगम व मलेरिया विभाग द्वारा रुट चार्ट अनुसार सुबह 05:30 से 08:00 बजे तक व शाम को 06:00 से रात 10:00 बजे तक किया जा रहा है साथ ही प्रत्येक वार्ड में एक-एक हैण्ड स्प्रे मशीन से भी कीटनाशक दवा का छिड़काव किया जा रहा है ।

1128 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 14 सितम्बर। नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूँजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होने प्रथम कार्यशील पूँजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सिद्धि विशेष अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यशील पूँजी हेतु राशि रूपये 10,000/- ब्याज मुक्त ऋण हेतु 2694 हितग्राहियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं जिसमें से 1395 आवेदन स्वीकृत किये जा चुके हैं तथा 1105 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है। इसी तरह द्वितीय कार्यशील पूँजी हेतु राशि रूपये 20,000/- ब्याज मुक्त ऋण हेतु 58 हितग्राहियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं जिसमें से 51 आवेदन स्वीकृत किये जा चुके हैं तथा 23 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

नगर निगम द्वारा नगरीय क्षेत्र रतलाम के पथ विक्रेताओं से अपील की जाती है कि जिन्हे प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना अन्तर्गत राशि रूपये 10,000/- का ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा ऐसे पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूँजी राशि रूपये 10,000/- का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त हो चुका है वे जमा करा दिया है वे द्वितीय कार्यशील पूँजी राशि रूपये 20,000/- का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु नगर निगम के झोन कार्यालय अलकापुरी कम्युनिटी हॉल, डॉ० अम्बेडकर मांगलिक भवन पोलोग्राउण्ड, अमृत सागर उद्यान व हरमाला पम्प हाउस कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर शीघ्र ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करें।

ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु पथ विक्रेता को आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुक, आधार कार्ड, पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 14 सितम्बर। कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोटोना 2019 संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकों, दुकानदारों, व्यावसायिक प्रतिष्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग इकट्ठे नहीं होवें। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 14 सितम्बर। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर, दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने

निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक—पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक—पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनों पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 14 सितम्बर । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डों की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले-नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले-नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समुचित साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निष्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार / ज.सं.वि. / हेमन्त / 14.09.2021 / न.पा.निगम, रतलाम.